Ref.: MD/3/JSR/104
Dated : June 22, 2020

एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/ काउंटर–टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ)/ नो योर कस्टमर (केवाईसी)

पॉलिसी

1. शब्दावली

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम	विवरण
1	AML	एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग
2	AMLCO	एएमएल अनुपालन अधिकारी
3	CDD	ग्राहक यथोचित परिश्रम
4	CEC&V	चीफ एथिक्स काउंसेलर एवं विजिलेंस
5	CTF	काउंटर टेररिस्ट्स फाइनेंसिंग
6	EDD	बढ़ी हुई देयता
7	EU	यूरोपीय संघ
8	FATF	फाइनेंसिल एक्शन टास्क फोर्स
9	KYC	नो योर कस्टमर
10	ML	मनी लॉन्ड्रिंग
11	OFAC	विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय
12	PEP	राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति
13	PMLA	मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम
14	RBA	जोखिम आधारित दृष्टिकोण
15	SAR	संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट
16	SDD	सरलीकृत देयता
17	STR	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
18	TBML	व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग
19	TSL	टाटा स्टील लिमिटेड
20	UN	संयुक्त राष्ट्र

2. पॉलिसी स्टेटमेंट

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई कंपनी के लिए प्राथमिकता है। हम मानते हैं कि यह लड़ाई टीम का एक प्रयास है और यह सुनिश्चित करता है कि इसकी नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रणालियां और नियंत्रण, उचित और पर्याप्त रूप से अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/ काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ) कानून और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन करते हैं और उनका अनुपालन करते हैं, जो सामूहिक रूप से एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नीतियों से मुकाबला और FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स), यूनाइटेड नेशन (UN), द यूरोपियन यूनियन (EU), द आर्गेनाईजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स – द ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) और स्थानीय नियामक प्राधिकरण जैसे कार्यक्रमों के लिए मानकों का निर्धारण और उन्हें लागू करते हैं।

उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम के साथ व्यवसाय का संचालन करने में, कंपनी हमेशा प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमन, संहिता और सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के मानकों का अनुपालन करना चाहती है।

हम लगातार अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रौद्योगिकी को अद्यतन कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम जहां तक संभव हो, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। हम उन लोगों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को रोकने के लिए लगातार सतर्क रहने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं जो उनका दुरुपयोग करेंगे।

हमारी जिम्मेदारी के रूप में, हम मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में हमारी केवाईसी, एएमएल/ सीटीएफ नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आवधिक मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी तरह का मूल्यांकन समय–समय पर और आवश्यकतानुसार किया जाएगा। किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो, बोर्ड को अधिसूचना भेजी जाएगी और इसकी मंजूरी के बाद संगठन में इसे लागू किया जाएगा।

3. उद्देश्य

केवाईसी, एएमएल/ सीटीएफ नीति का उद्देश्य एएमएल अनुपालन कार्यक्रम के लिए मानकों का निर्धारण करना है। प्रबंधन द्वारा समर्थित प्रमुख मानक इस प्रकार हैं:

- इस एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी (''एएमएल पॉलिसी'') का उद्देश्य किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में किसी भी संलिप्तता को रोकना है या चाहे अवैध रूप से अर्जित धन का रूपांतरण हो या चाहे सापेक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, यहां तक कि जब टीआरएफ के संचालन और व्यावसायिक गतिविधियाँ में अनजाने में संलिप्तता हो, जिसमें उसकी सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि टीआरएफ लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम, एएमएल/ केवाईसी से संबंधित विभिन्न विधायी/ विनियामक प्रावधानों के अनुरूप हैं।
- ताकि कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए एक चैनल के रूप में शोषण से बचाया जा सके।
- कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाना और बढ़ाना।

इस उद्देश्य की दिशा में, टीआरएफ को केवल सम्मानित ग्राहकों, वितरकों, कारोबार भागीदारों, सेवा प्रदाताओं, ठेकेदारों और कंसलटेंट्स के साथ व्यवसाय करना चाहिए जो वैध व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं और जिनके फंड से वैध स्रोत से प्राप्त किए गए हैं।

4. पॉलिसी का दायरा और प्रायोजकता

यह नीति सभी स्तरों और ग्रेड पर काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिसमें निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक, अधिकारी, अन्य कर्मचारी (चाहे स्थायी, निश्चित समय के लिए या अस्थायी), कंसलटेंट, ठेकेदार, प्रशिक्षु, शिशिक्षु, प्रतिनियुक्त कर्मचारी, आम मजदूर और एजेंसी के कर्मचारी, एजेंट, या टीआरएफ से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति शामिल हैं, और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें कंपनी एएमएल अनुपालन अधिकारी/ चीफ एथिक्स कॉउंसिलर एवं विजिलेंस द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया गया हैं (उपरोक्त सभी को सामूहिक रूप से ''टीआरएफ कार्मिक'' के रूप में जाना जाता है)।

5. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

5.1 निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि प्रभावी केवाईसी, एएमएल और सीटीएफ कार्यक्रम को प्रक्रियाओं को स्थापित करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त दिशानिर्देशों को परिभाषित करने और एएमएल अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

5.2 एएमएल अनुपालन अधिकारी (AMLCO)

एएमएलसीओ, एएमएल कार्यक्रम की देखरेख और निगरानी के लिए एक नामित अधिकारी है। एएमएल नीति के संबंध में सभी रिपोर्ट, शिकायतें, संदेह या चिंताएं, नामित व्यक्तियों द्वारा एएमएल अनुपालन अधिकारी/चीफ एथिक्स कॉउंसिलर एवं विजिलेंस के समक्ष उठाए जाएंगे। एएमएलसीओ की निदेशक मंडल तक सीधी पहुंच है।

एएमएलसीओ की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं:

- सुनिश्चित करें कि नीति के अनुपालन को सक्षम करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं और प्रणालियां स्थापित की गई हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग/ आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम के प्रबंधन में निदेशक मंडल का समर्थन करें।
- नियामक अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की सूचना दें।
- एएमएल/सीटीएफ मुद्दों के संबंध में नियामकों द्वारा अनुरोध की गई जानकारी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।
- एएमएल/सीटीएफ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी करें।
- बदलते कारोबारी और नियामक वातावरण में समय–समय पर एएमएल नीतियों/ दिशानिर्देशों को अपडेट करें।

5.3 स्टाफ सदस्य

सभी स्टाफ सदस्य कंपनी को बाहरी संस्थाओं द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अन्य गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं।

- अनुपालन कर्मचारी सदस्य – अनुपालन कर्मचारी सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी लेनदेन की निगरानी और रिपोर्टिंग सहित सभी आंतरिक/ बाहरी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

- अन्य स्टाफ सदस्य– स्टाफ जो ग्राहकों/ वितरकों/व्यवसाय साझेदारों के साथ बातचीत करते हैं या लेनदेन का काम संभालते है, वे कंपनी के लिए रक्षा की पहली पंक्ति है। एएमएल /सीटीएफ नीति के बारे में जागरूकता और इसे लागू करने के लिए संबंधित प्रशिक्षण एक सफल एएमएल/ सीटीएफ कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है।
- कंपनी में अपनी भूमिका से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं से खुद को अपडेट रखना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। स्टाफ पर एएमएलसीओ/ चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का भी दायित्व है।

6. परिभाषाएँ

6.1 मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे अभियोजन, दोषसिद्धि और आपराधिक धन की जब्ती से बचते हैं। आय के स्रोत में मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, संगठित अपराध, अवैध व्यापार, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित अपराध शामिल हो सकते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाः मनी लॉन्ड्रिंग के तीन चरण होते हैं जिन्हें निम्नानुसार समझाया गया हैः

क. प्लेसमेंट

इसमें वित्तीय प्रणाली में अवैध रूप से प्राप्त फंड का उपयोग शामिल है, आमतौर पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से। यह नकदी आदि में सामानों की खरीद के जरिए हासिल किया जा सकता है।

ख. लेयरिंग

आमतौर पर यह रूपांतरण और फंड के मूवमेंट के माध्यम से लेन–देन की एक श्रृंखला होती है, जिसे फंड की उत्पत्ति को छिपाने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह खातों के बीच अवैध धन को व्यवसायों के बीच, और विभिन्न पार्टियों/ देशों से सामान खरीदने और बेचने के लिए स्थानांतरित करके लेन–देन की परतें बनाकर पूरा किया जा सकता है, जब तक कि पैसे का मूल स्रोत वास्तव में अनुसरणीय नहीं है।

ग. एकीकरण

इस चरण में वैध अर्थव्यवस्था में धन को फिर से दर्ज करना शामिल है। एक बार जब अवैध धन सफलतापूर्वक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत हो जाता है, तो इन अवैध धन को अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में फिर से जोड़ा जाता है और अक्सर वैध संपत्ति खरीदने, वैध व्यापारों को वित्त पोषित करने या अन्य आपराधिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है। लेन–देन इस तरह से किया जाता है ताकि यह प्रतीत हो कि यह वैध धन के माध्यम से किया गया है।

6.2 आतंकवादी वित्त पोषण

आतंकवादी वित्तपोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आतंकवादी अपने कार्यों का वित्तपोषण करते हैं। आतंकवादी वित्तपोषण किसी व्यक्ति को मारने या किसी सरकार को करने या किसी भी कार्य को करने से रोकने के उद्देश्य से नागरिक को मारने या गंभीर रूप से घायल करने के एक अधिनियम को पूरा करने के लिए धन के प्रावधान या संग्रह से संबंधित है।

6.3 एंटी – मनी लॉन्ड्रिंग

एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए लागू प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का एक समूह है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करती है:

- अपने ग्राहकों/ वितरकों/बिजनेस एसोसिएट्स/कर्मचारियों (केवाईसी) को जानें – ग्राहकों, वितरकों, व्यापारिक सहयोगियों के साथ–साथ कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन ताकि वे ऑन–बोर्डिंग/एम्पैनलमेंट और संबंधों की निरंतरता के साथ विवेकपूर्ण देयता के माध्यम से साथ कंपनी से जुड़े रह सकें।
- ग्राहक/ वितरक/ कारोबार साझेदार/ कर्मचारी यथोचित परिश्रम – यथोचित परिश्रम विभिन्न जांच को संदर्भित करता है जो व्यवसाय भागीदारों और संभावित जोखिमों की पहचान का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण के दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकते हैं। यथोचित परिश्रम, उद्देश्य की पहचान करने और स्थापित करने, व्यावसायिक संबंध और स्वामित्व की प्रकृति का पता लगाने के लिए जानकारी/ दस्तावेज एकत्र करके किया जाता है। यथोचित परिश्रम की प्रकृति और सीमा, माने गये जोखिम और स्थानीय नियामक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।
- लेन–देन की निगरानी – संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए जारी लेनदेन की निगरानी।
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग – समय–समय पर एएमएल/सीटीएफ के दृष्टिकोण से नियामक अधिकारियों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप किसी भी असामान्य गतिविधियों की सूचना देना।

6.4 बिजनेस एसोसिएट्स

एक 'बिजनेस एसोसिएट' को एक व्यक्ति/ संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न होता है और इसमें वह व्यक्ति शामिल होता है, जिसकी ओर से वह व्यक्ति लेन–देन कार्यों में संलग्न होता है। इस नीति के संदर्भ में, इसमें ग्राहक, वितरक, एक्सटरनल प्रोसेसिंग एजेंसियां, वेंडर्स और आपूर्तिकर्ता आदि भी शामिल हैं।

6.5 लाभकारी स्वामी

एक लाभकारी स्वामी का अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति जो अंततः ग्राहक/ व्यवसायिक भागीदार और या उस व्यक्ति को नियंत्रित करता है, जिसकी ओर से लेनदेन संचालित किया जा रहा है, और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो एक न्यायिक व्यक्ति पर खासतौर से प्रभावी नियंत्रण रखता है।

6.6 नियंत्रित करने वाली पार्टियां

नियंत्रित करने वाली पार्टियां कंपनी के साथ बनाए गए संबंध/ खाते पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं। केवाईसी उद्देश्यों के लिए, नियंत्रित करने वाले पक्ष को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, संगठन के कार्यकारी प्रबंधन (जैसे साझेदार, निदेशक आदि) के रूप में परिभाषित किया गया है। अलग–अलग रिलेशनशिप/ खाता के प्रकार और लेन–देन अलग–अलग कंट्रोलिंग पार्टियों को शामिल कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ किसकी सहभागिता है।

6.7 राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति (पीईपी)

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अनुसार राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति (पीईपी) को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर किसी प्रमुख सार्वजनिक कार्य की जिम्मेदारी है अथवा सौंपी गई है। उनके पद और प्रभाव के कारण, यह माना जाता है कि कई पीईपीएस ऐसे पदों पर हैं, जो संभवतः भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सहित मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित विधेय अपराध करने के उद्देश्य से दुरुपयोग किए जा सकते हैं, साथ ही आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित गतिविधि का संचालन भी कर सकते हैं।

इसमें ऐसे व्यक्ति के परिवार के नजदीकी सदस्य, या उसके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी आदि।

6.8 शेल कंपनी

शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई भौतिक उपस्थिति, व्यवसाय और परिसंपत्ति नहीं है। इन कंपनियों को फंड्स को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय साधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

शेल कंपनियों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, मीडिया रिपोर्ट, स्क्रीनिंग और नियामक के आदेशों के माध्यम से पहचाना जा सकता है।

6.9 प्रतिबंधित देश/संस्थाएँ/ व्यक्ति

- देश – ऐसे देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए पर्याप्त कानून लागू करते हैं या जिन्हें आपराधिक गतिविधियों और आतंकवाद से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। प्रतिबंधित देशों की सूची विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय(ओएफएसी) की वेबसाइट यानी https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ पर उपलब्ध है।
- संस्था/व्यक्ति – कोई भी संस्था/व्यक्ति जो आतंकवाद/ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, उन्हें प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जाता है। सूची का रखरखाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है और उनकी वेबसाइट https://scsanctions.un.org/search/ पर प्रकाशित किया गया है।

6.10 टिप–ऑफ

टिपिंग ऑफ एक ऐसी स्थिति है, जहां जानबूझकर/अनजाने में, जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी संदिग्ध व्यक्ति/संस्था को बताई जाती है। उदाहरण के लिएः कर्मचारी द्वारा आंतरिक जांच विवरण ग्राहक / वितरकों / व्यावसायिक साझेदार के साथ साझा करना।

6.11 व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल)

एफएटीएफ के अनुसार, व्यापार–आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध से प्राप्त आय को छिपाने और व्यापार लेनदेन के उपयोग के माध्यम से मूल्य को परिवर्तित करने के प्रयास से अवैध उत्पत्ति को वैध बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

अपराधियों द्वारा धन को लूटने के लिए विभिन्न सामान्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- अंडर–इनवॉइसिंग – बाजार मानक से कम राशि के चालान के साथ माल का निर्यात करना जो आयातक को बाजार में सामान बेचने और धन एकत्र करने में मदद करता है।
- ओवर–इनवॉइसिंग – अधिक राशि के चालान के साथ माल का निर्यात करना, जिसके माध्यम से आयातक सही मूल्य से अधिक धन निर्यातक को हस्तांतरित करते हैं।
- मल्टीपल इनवॉइसिंग – एक ही खेप के लिए एक से अधिक इनवॉइस बनाना, जो कई भुगतानों के कारण को सही ठहराने के लिए निर्यात किया जाता है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कई भुगतान प्राप्त किए जा सकते हैं।
- शिपमेंट से अधिक या उससे कम – व्यापार लेनदेन के माध्यम से खाते में अवास्तविक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए निर्यातित ओवर / अंडर शिपमेंट प्रदर्शित करना।
- माल का गलत विवरण – पैसे लूटने के लिए माल के गलत विवरण का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे निर्यातक द्वारा चालान और सीमा शुल्क दस्तावेजों पर माल की गुणवत्ता या प्रकार का गलत विवरण देना।

6.12 दोहरे उपयोग के सामान

दोहरे उपयोग के सामान ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्य दोनों के लिए किया जा सकता है जैसे सॉफ्टवेयर, तकनीक, दस्तावेज, आरेख आदि। इन सामानों में कच्चे माल और अन्य घटक भी शामिल हो सकते हैं जैसे कि बियरिंग, एल्यूमीनियम अलॉयज या लेजर आदि।

7. ग्राहक/ वितरक/ कारोबार सहयोगी स्वीकृति नीति

इसका उद्देश्य कंपनी को उन ग्राहकों/ कारोबार सहयोगी की पहचान करने में सक्षम बनाना है, जिन साझेदारों के साथ कंपनी कोई संबंध स्थापित नहीं करेगी। यह संबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- किसी भी अनाम या काल्पनिक संस्था के साथ
- जब कंपनी उचित ग्राहक यथोचित परिश्रम उपायों को लागू करने में असमर्थ हो, अर्थात पहचान को सत्यापित करने और/ या आवश्यक दस्तावेजों को ग्राहकों के गैर–सहयोग या ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जानकरी की गैर–विश्वसनीयता के कारण प्राप्त करने में असमर्थ हो।
- किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति/संस्था/ देश के साथ, जिसकी विवरण खंड 6.9 में है।
- किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से, यदि यह मालूम है कि व्यक्ति / संस्था
    - भूमि के कानून द्वारा प्रतिबंधित है,
    - आतंकवादियों और आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठनों से संबद्ध है। ऐसे संगठनों/ संस्थाओं की सूची ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल वेबसाइट (OFAC) पर उपलब्ध है यानी https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
    - एक शेल कंपनी

8. कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, नो योर कस्टमर (केवाईसी) और ऑन–बोर्डिंग

कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है क्लाइंट रिलेशनशिप बनाने से पहले क्लाइंट यथोचित परिश्रम उपायों का संचालन करना जिसमें जहां तक संभव हो, दस्तावेजों के आधार पर ग्राहक और लाभकारी मालिक की पहचान और सत्यापन भामिल है। कंपनी को प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान स्थापित करने

के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए। निम्नलिखित सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए:

- ग्राहक की पहचान की पुष्टि करते हुए ग्राहक पहचान प्रमाण का सत्यापन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक वैध व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है
- उनकी क्षमताओं और क्रेडेंशियल्स को समझने के लिए चर्चाएँ
- जरूरत के आधार साइट विजिट

8.1 दस्तावेज संग्रह और सत्यापन

आवश्यक दस्तावेज एकत्र की जानी चाहिए और समीक्षा की जानी चाहिए ताकि लागू सीमा तक ग्राहक /वितरकों की वास्तविकता स्थापित हो सके।

स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों की सूची अनुलग्नक 1 में निर्धारित की गई है

8.2 लाभकारी स्वामी की पहचान

कंपनी को यह निर्धारित करना होगा कि ग्राहक / वितरक किसी अन्य व्यक्ति की ओर से काम कर रहें है या नहीं। ऐसे मामलों में, अधिकारी/ कर्मचारी उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पहचान डेटा प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं, जहां तक संभव हो।

उन ग्राहकों के लिए जो कानूनी व्यक्तियों या कानूनी व्यवस्थाओं से संबंधित हो, कंपनी के अधिकारियों/ कर्मचारियों को निम्न कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए (जहां तक संभव हो):

- ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें।
- स्वाभाविक व्यक्ति (यों) का निर्धारण करें जो अंततः ग्राहक के मालिक हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं।
- यदि लाभकारी स्वामी पीईपी है, तो बढ़ाया हुआ यथोचित परिश्रम दिया जाना चाहिए।

9. जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)

आरबीए का अर्थ ग्राहक/ वितरकों/ व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा उत्पन्न गए जोखिम के स्तर के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना है। यदि उच्च जोखिम की पहचान की जाती है, तो आरबीए कंपनी को उनके संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और विकसित उपायों को लागू करने की अनुमति देता है। आरबीए ग्राहकों /वितरकों/ व्यावसायिक भागीदारों के लिए आवश्यक उचित परिश्रम के स्तर की पहचान करने में सहायता करता है।

कंपनी को विभिन्न एमएल/टीएफ जोखिमों के प्रबंधन और शमन के लिए आरबीए को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आरबीए को अपनाने के लिए कंपनी नीचे वर्णित ग्राहकों/ वितरकों/कारोबार साझेदारों की श्रेणियों को विकसित किया है:

9.1 निषिद्ध

सूचीबद्ध सभी ग्राहकों/ वितरकों/ कारोबार भागीदारों को निषिद्ध श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है:

- भूमि के कानून द्वारा वर्जित।
- आतंकवाद और आतंकवादियों और प्रतिबंधित संगठनों से सम्बद्ध या संबंधित।

- ऐसे संगठनों/ संस्थाओं की सूची विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) की वेबसाइट यानी https://sanctionssearch.ofac.treas.gov पर उपलब्ध है।
- एक शेल कंपनी।

9.2 उच्च जोखिम

कंपनी को उच्च जोखिम श्रेणी में ग्राहकों की सूची पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें नीचे इंगित किया गया है:

- राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति (पीईपी)।
- उच्च जोखिम वाले देशों/ कर मुक्त देशों (अनुलग्नक 2) से जुड़े ग्राहक।
- उच्च मूल्य नकद के साथ काम करने वाले वितरक/डीलर।
- गैर–लाभकारी संगठन/ धर्मार्थ ट्रस्ट आदि
- थर्ड पार्टी भुगतान के मामलों में शामिल ग्राहक।
- कोई अन्य ग्राहक, जिसे कंपनी उपयुक्त समझती है।

9.3 कम जोखिम

अन्य सभी ग्राहक जो निषिद्ध और उच्च जोखिम वाले ग्राहक के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें कम जोखिम के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

10. ग्राहक देय परिश्रम

जोखिम मूल्यांकन के आधार पर ग्राहक पर लागू देय परिश्रम के विभिन्न स्तर हैं।

10.1 सरलीकृत देय परिश्रम (SDD)

सरलीकृत देय परिश्रम उन सभी ग्राहकों पर लागू होता है जिनके लिए न्यूनतम संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मौजूद हैं।

10.2 संवर्धित देय परिश्रम (EDD)

ईडीडी अतिरिक्त सूचना संग्रह और व्यक्तिगत/ संस्थाओं पर अग्रिम पृष्ठभूमि की जाँच को संदर्भित करता है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के उच्च जोखिम की संभावना हो, तो कंपनी को ग्राहक/ वितरकों/ व्यावसायिक साझेदारों की गतिविधियों की गहरी समझ हासिल करने के लिए संवर्धित देय परिश्रम संचालित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। संवर्धित देय परिश्रम के एक हिस्से के रूप में कंपनी को ग्राहकों के दस्तावेजों/ सूचनाओं को संभव सीमा तक एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए।

- प्रतिकूल जानकारी/ मीडिया जांच–पड़ताल/ पब्लिक डोमेन सर्च।
- क्रेडिट रिपोर्ट जैसे डी एंड बी रिपोर्ट आदि जहां तक संभव हो (जहाँ भी आवश्यक हो)।
- ग्राहक के साथ शारीरिक बैठकें या साइट विजिट (मामले के आधार पर) या व्यावसायिक सहयोगियों के संदर्भ में।

10.3 डी–एम्पैनलमेंट/ ग्राहकों/वितरकों/व्यावसायिक साझेदारों की ब्लैक–लिस्टिंग

कंपनी को उन ग्राहकों/ वितरकों / व्यावसायिक सहयोगियों को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार करना होगा, यदि वे मनी लॉन्ड्रिंग/ आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े होते हैं। एक बार जब ग्राहक/ वितरक/ कारोबार साझेदार ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, तो भविष्य में उनसे कोई भी सेवा/ उत्पाद की पेशकश/ उनसे प्राप्त या दिए नहीं जाएंगे। नए ग्राहकों/ वितरकों/ कारोबार भागीदारों को शामिल करते (ऑन–बोर्डिंग) समय ब्लैक लिस्ट डेटा बेस को अपडेट और इसका उपयोग किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो सके।

11. संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी, पहचान और रिपोर्टिंग

ग्राहकों और अन्य तृतीय पक्षों के साथ लेन–देन की निगरानी नियमित रूप से सभी कार्यों के आधार पर की जानी चाहिए, जहां तक संभव हो। निम्नलिखित रेड फ्लैग्स के संदर्भ में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए जो संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हो सकते हैं।

संदिग्ध लेनदेन की पहचान इस दौरान की जाती है:

- खरीद/ बिक्री के दौरान ग्राहक/ वितरकों/कारोबार भागीदारों के साथ बातचीत।
- दस्तावेजों का सत्यापन।
- लेन–देन की नियमित निगरानी।
- नामित व्यक्ति से प्राप्त जानकारी।

संदिग्ध लेन–देन वह है जहां लेन–देन की प्रकृति है:

- एक उचित आधार पर संदेह उठता है कि इसमें अपराधिक धन के शामिल होने की संभावना है।
- असामान्य परिस्थितियों में किया गया प्रतीत होता है या, अनुचित जटिलता का है और ऐसा लगता है कि इसका कोई आर्थिक तर्क नहीं है।

पहचान की गई कोई भी संदिग्ध गतिविधि आंतरिक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट फॉर्म (अनुलग्नक 3) के साथ एएमएलसीओ/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को सूचित की जानी चाहिए। एएमएलसीओ/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस नियामक प्राधिकरण को संदिग्ध लेनदेन की सूचना देंगे। एएमएलसीओ/चीफ एथिक्स काउंसिलर एवं विजिलेंस को जांच के बाद लेन–देन को संदिग्ध या गैर–संदिग्ध ठहराये जाने के कारण का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है।

कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्तर पर कोई टिपिंग–ऑफ न हो।

नीचे सूचीबद्ध संभावित रेड फ्लैग्स की सांकेतिक सूची को ऑन–गोइंग मॉनीटरिंग के एक भाग के रूप में माना जा सकता है:

- ग्राहक/ वितरक/ व्यावसायिक सहयोगी पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हैं और/ या अपर्याप्त, झूठी या संदिग्ध जानकारी प्रदान करते हैं।
- केवाईसी दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होते हैं अर्थात ग्राहक/ वितरक झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं जो खतरे की घंटी/ गलत आदि प्रतीत होते हैं।

- ग्राहक/ वितरक/ व्यावसायिक सहयोगी कंपनी के केवाईसी मानदंडों का पालन करने के लिए अनिच्छुक हैं। ग्राहक/ वितरक/ व्यापारिक सहयोगी जो किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कंपनी या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने से मना कर देते हैं या अनिच्छुक हैं।
- मालिकों की पहचान करने या हितों को नियंत्रित करने से इनकार करना।
- ग्राहक/वितरक का लाभप्रद स्वामी प्रतिबंधित, उच्च जोखिम और कर मुक्त देशों में स्थित है।
- लेन–देन का कोई स्पष्ट या दृश्यमान आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है।
- ग्राहक लेनदेन गतिविधियों के अपेक्षित स्तर से अधिक है।
- एक ही अधिकार क्षेत्र में टीआरएफ उत्पादों को बेचना या खरीदना, जिसके मध्यस्थ का विदेश में स्थित होना/ तृतीय पक्ष की अनावश्यक भागीदारी।
- ग्राहक/वितरकों द्वारा बैंक खातों में बार–बार बदलाव।
- ग्राहक /वितरक जिनका पता भौतिक साइट पर मौजूद नहीं है/ जिनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है।
- असामान्य या असंगत प्रकृति का कोई अन्य लेनदेन।

12. चालू देय परिश्रम/मूल्यांकन

कंपनी को अपने ग्राहक, वितरक और व्यावसायिक सहयोगियों पर नियमित रूप से आवधिक देय परिश्रम (पीईपी समीक्षा /प्रतिबंधों की जांच) करना होगा। देय परिश्रम का स्तर ग्राहक/ व्यवसाय सहयोगियों के जोखिम श्रेणी में परिवर्तन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए भिन्न हो सकता है।

13. कर्मचारी प्रशिक्षण और जागरूकता

कंपनी को चालू कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी सदस्य एएमएल/सीटीएफ दिशानिर्देशों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों। प्रशिक्षण की जरूरतों पर विचार करते समय, कंपनी को मौजूदा अनुभव, कौशल और क्षमताओं, कार्यों और इच्छित भूमिका, पहले आयोजित प्रशिक्षण के परिणाम आदि को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी प्रशिक्षण की जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा करती है, ताकि स्टाफ के सदस्यों की भूमिका के आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो।

14. रिकॉर्ड का रखरखाव

कंपनी पीएमएलए आवश्यकताओं के अनुरूप पाँच वर्षों के लिए निम्नलिखित सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने पर ध्यान देती है :

- केवाईसी और देय परिश्रम दस्तावेज
- लेन–देन का रिकॉर्ड
- प्रशिक्षण रिकॉर्ड आदि।

15. एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन

कंपनी को आवधिक समीक्षा और एएमएल अनुपालन कार्यक्रम के मूल्यांकन पर विचार करना चाहिए ताकि इसे आंतरिक/नियामक विकास (यदि कोई हो) के साथ संरेखित किया जा सके।

आलोक कृष्णा
प्रबंध निदेशक

16. अनुलग्नक

16.1 अनुलग्नक 1 – प्रतिबंधित और उच्च जोखिम वाले देशों की सूची

प्रतिबंधित देशों की सांकेतिक सूचीः

देश का नाम	वर्गीकरण
उत्तर कोरिया	प्रतिबंधित
सीरिया	
ईरान	
क्यूबा	
आइवरी कोस्ट	

उच्च, मध्यम, कम जोखिम वाले देशों की सांकेतिक सूची

देश का नाम	वर्गीकरण
अफगानिस्तान	उच्च जोखिम
नाइजेरिया	
ताजिकिस्तान	
लाओस	
घाना	
जिम्बाब्वे	
युगांडा	
कंबोडिया	
तंजानिया	
केन्या	
लाइबेरिया	
म्यांमार	
जाम्बिया	
नामीबिया	
लेबनान	
यमन	
तुर्की	
पाकिस्तान	
कुवैत	मध्यम जोखिम
चीन	
सऊदी अरब	
पेरू	
दक्षिण अफ्रीका	
लक्जमबर्ग	
मिस्र	
बहरेन	
मेक्सिको	

फिनलैंड	निम्न जोखिम
न्यूजीलैंड	
डेनमार्क	
स्वीडन	
माल्टा	
पोलैंड	

नोट – ऊपर सूचीबद्ध किसी भी अन्य देश के लिए, स्टाफ सदस्य एएमएलसीओ से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त सांकेतिक सूची एफएटीएफ, एएलएल बेसल इंडेक्स जानकारी आदि पर आधारित है।

16.2 अनुलग्नक 2 – स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची

कस्टमर/ क्लाएंट	स्वीकार्य दस्तावेज
प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	अ. निगमन का प्रमाण पत्र ब. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएसन स. निदेशक मंडल और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया प्रस्ताव द. अपनी ओर से लेन–देन करने के लिए एक वकील रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज
पार्टनरशिप फर्म	अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र ब. पार्टनरशिप डीड स. अपनी ओर से लेन–देन करने के लिए एक वकील रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज
ट्रस्ट	अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र ब. ट्रस्ट डीड स. अपनी ओर से लेन–देन करने के लिए एक वकील रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज
मालिकाना सरोकार	अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत सरोकार के मामले में) ब. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ लाइसेंस स. बिक्री और आयकर रिटर्न द. सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र/जीएसटी प्रमाणपत्र (प्रोविजनल/फाइनल) इ. बिक्री कर/ सेवा कर /व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ पंजीकरण दस्तावेज

16.3 अनुलग्नक 3 – आंतरिक संदिग्ध लेन–देन रिपोर्ट (एसटीआर) फॉर्म

आंतरिक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फॉर्म

असामान्य / संभावित रूप से संदिग्ध लेन–देन के लिए

प्रेषक

कर्मचारी का नाम	
इम्प्लाई कोड	
पदनाम	

सेवा में,

एमएलआरओ	
कंपनी	

लेनदेन का विवरण

ग्राहक का नाम	
ग्राहक की आईडी संख्या	
लेनदेन संदर्भ संख्याः	
लेन–देन की तारीख	
लेन–देन का प्रकार	
राशि (INR)	

कर्मचारी के द्वारा संदेह का कारणः

	तिथिः
कर्मचारी का हस्ताक्षर	

Disclaimer

"The original version of this Policy is in English language. This Hindi version is a mere translation for convenience only and shall not affect the interpretation of original. For all purposes including any discrepancies (if any) between the two versions, the English version shall prevail."

अस्वीकरण

" इस नीति का मूल संस्करण अंग्रेजी भाषा में है। यह हिंदी संस्करण केवल सुविधा के लिए अनुवाद है और मूल की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगा। दो संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति (यदि कोई है) सहित सभी उद्देश्यों के लिए, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।"